सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

की अनुदान मांगों (2018-19)

पर

वित्त संबंधी स्थायी समिति

की

61वीं रिपोर्ट

पर

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

वित्त संबंधी स्थायी समिति 61वीं रिपोर्ट में विहित अनुशंसाओं/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई अथवा किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रिपोर्ट

सूची

टिप्पणी/अनुशंसा क्र. सं.	मद	पृष्ठ सं.
I	बजटीय आबंटन	1-3
II	आबंटित निधि का अल्प-उपयोग	4-5
III	आंकड़ा गतिकी	6-10
IV	एमपीलैड्स स्कीम	11-13
V	आईएसआई	14-15
VI	सांख्यिकीय सेवाएं/जनशक्ति संबंधी मुद्दे	16-18
VII	पूर्वोत्तर क्षेत्र	19-23

वित्त संबंधी स्थाई समिति की 61वीं रिपोर्ट में विहित अनुशंसाओं/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण ।

अनुशंसाएं/टिप्पणियां

बजटीय आबंटन

1. समिति ने पाया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमपीलैड्स रहित योजना/स्कीम) का वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय क्रमश: 402.50 करोड़ रुपए, 200.04 करोड़ रुपए तथा 192.93 करोड़ रुपए था, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए तद्नुरूपी आंकड़े 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए तथा 223.92 करोड़ रुपए थे । वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संगत आंकड़े 168.28 करोड़ रुपए, 161 करोड़ रुपए तथा 90.09 करोड़ रुपए (दिसम्बर 17 तक व्यय) रहे हैं। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के लिए बजटीय आबंटन 208 करोड़ रुपए जो कि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2017-18 के तद्नुरूपी आबंटन की तुलना में 23.6% की बढ़ोतरी है । तथापि, यदि वर्तमान बजटीय आबंटन की वर्ष 2015-I6 तथा 2016-17 से, जिसमें यह आबंटन क्रमश: 402.50 करोड़ रुपए तथा 250 करोड़ था, तुलना की जाती है, तो वर्तमान आबंटन क्रमश: 51.6% तथा 83.2% है । आश्चर्यजनक रूप से, जब मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में 223.92 करोड़ रुपए उपयोग किया था तथा वर्ष 2017-18 के लिए आबंटन के उपयोग के अंतिम आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं, अंतिम वित्तीय तथा वर्तमान वर्ष के बजटीय आबंटनों में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में बजट आबंटन घटने का सामना किया । अब हमारा देश आंकड़ा उपलब्ध तथा आंकड़ा विश्लेषणों पर फोकस करते हुए अत्याधिक गति के साथ सर्वांगीण विकास की ओर प्रगति कर रहा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भूमिका नीति-निरूपण तथा कार्यान्वयन के लिए अधिप्रमाणित और व्यापक आंकड़ों तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों के रूप में बुनियादी जानकारी मुहैय्या कराने की दिशा में पहले से अधिक निर्णायक महत्वपूर्ण तथा परिणामात्मक हो

गई है । संवर्धित प्रौद्योगिकी के इस युग में मंत्रालय को वैज्ञानिक प्रतिचयन पद्धतियों के क्षेत्रों मे, आयोजित किए गए सर्वेक्षणों, जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता, सम्मिलित की गई कार्यप्रणाली तथा तैयार की गई सांख्यिकी की संवीक्षा में अग्रगणी होने की आवश्यकता है । दी गई पृष्ठ भूमि में समिति मंत्रालय से और अधिक गतिशील भूमिका की आशा करती है। वास्तव में, सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण देश के एक मजबूत और कारगर सांख्यिकी सिस्टम के लिए पूर्वापेक्षा है जिसके लिए मंत्रालय को बढ़ाना आवश्यक है । इस प्रकार समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय के बजटीय आबंटन में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को तद्नुसार इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए ।

उत्तर:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वार्षिक कार्य योजना तैयार की है जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान मंत्रालय द्वारा किए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए तिमाही-वार लक्ष्य रखे गए हैं । इन क्रियाकलापों की त्रैमासिक समीक्षाओं से यह सुनिश्चित किया जाता है कि समस्त योजनाबद्ध क्रियाकलाप तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित वित्तीय स्रोतों का उपयोग किया जाता है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सभी सांख्यिकीय क्रियाकलाप क्षमता विकास स्कीम, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से जारी है, के अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं । स्कीम का समग्र उद्देश्य, नीति-निर्माताओं तथा आम जनता के लिए विश्वसनीय तथा समयपूर्वक सरकारी सांख्यिकी उपलबध कराकर अवसंरचनात्मक, तकनीकी तथा जनशक्ति स्रोतों में वृद्धि करना है । इस बात को मानते हुए कि कारकों के रूप में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय तथा

राज्य स्तरों पर नीति तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण हैं, मंत्रालय ने कुछ नई पहलों नामत:, सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, अनिगमित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण (प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार) तथा आर्थिक गणना (प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार) का शुरू करने का प्रस्ताव किया है । इन नए क्रियाकलापों का उद्दश्य मौजूदा आंकड़ा अन्तरालों को पाटना है। स्कीम को जारी रखने के लिए व्यय वित्त समिति ज्ञापन में, जारी सांख्यिकी क्रियाकलापों के अलावा इन क्रियाकलापों को शुरू करने का प्रस्ताव है । वर्ष 2017-20 के लिए 2741.86 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है । व्यय-वित्त समिति के प्रस्तावों पर सक्षम अनुमोदनार्थ प्रक्रिया जारी है ।

<u>आबंटित निधि का अल्प उपयोग</u>

2. समिति पाती है कि वर्ष 2015-16 के लिए 4826.87 करोड़ रुपए का कुल योजना तथा गैर-योजना आबंटन संशोधित अनुमान स्तर पर 4631.07 करोड़ रुपए से घटा है तथा वास्तविक उपयोग 4178.39 करोड़ रुपए (बजट अनुमान का 86% तथा संशोधित अनुमान का 90%) हुआ था । वर्ष 2016-17 में, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक उपयोग क्रमश: 4752.83 करोड़ रुपए, 4759.82 करोड़ रुपए तथा 4270.83 करोड़ रुपए (ब.अ. तथा सं.अ. का लगभग 89%) रिकार्ड किया गया था जबकि वर्ष 2017-18 में, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान क्रमश: 4795.74 करोड़ रुपए, 4783 करोड़ रुपए दर्शाया गया था । वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक उपयोग, केवल 3055.41 करोड़ रुपए (ब.अ. का 63.71% तथा सं.अ. का 63.88%) सूचित किया गया । इस प्रकार, समिति पाती है कि वर्ष 2015-16 में 648.47 करोड़ रुपए तथा 2016-17 में 481.99 करोड़ रुपए की सतत रूप से "अभ्यर्पण/बचत की बड़ी राशि है । वर्ष 2017-18 में भी, दिसम्बर 2017 तक वास्तविक व्यय 3055.41 करोड़ रुपए है जो वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 1740.32 करोड़ रुपए कम रहा । इस प्रकार, समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हो जाती है कि बजट आवंटनों का 'अभ्यर्पण' मंत्रालय बजट आयोजना तथा कार्यान्वयन का खराब प्रदर्शन दर्शाता है । मंत्रालय अनुबंधित समय-सीमा के भीतर अपनी बजटीय निधि का उचित रूप से उपयोग करने में असमर्थ रहा है । मंत्रालय नई चुनौतियों का सामना करने जा रहा है तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार अवसरों, श्रमबल की श्रेणी तथा कार्य क्षेत्र की परिधि में अपने आंकड़ों का विस्तार करने जा रहा है तथा साथ ही एक ओर तो संवहनीय विकास ध्येयों के लिए उपलब्ध तथा दूसरी ओर उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है । अत: समिति सरोकार के क्षेत्र के निवारण

के लिए मंत्रालय के कार्यकरण के समग्र क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की अनुशंसा करेगा ताकि इसकी अधिदेशित भूमिका उनको आबंटित निधि के बेहतर तथा पूर्ण उपयोग के माध्यम से पूरी की जा सके ।

उत्तर:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए क्षमता विकास स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निधि का उपयोग लगभग 87% है । मंत्रालय मासिक व्यय योजना तथा व्यय समीक्षा बैठकों के माध्यम से व्यय की गति की निगरानी करता है तथा सुनिश्चित करता हे कि आबंटित निधि इस मंत्रालय को प्राप्त अधिदेश की पूर्ति के लिए उचित रूप से उपयोग में लाई जाए । इसके अलावा, सूचित किया जाता है कि बजट अनुमान 2017-18 में, 28.25 करोड़ रुपए अत्यधिक निधि 16.77 करोड़ रुपए प्रक्षेपित मांग की तुलना में पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की गई । इसलिए, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूंजीगत व्यय में 12.89 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग नहीं किया गया है । तथापि, तकनीकी सम्पूरक सहायता से 12.00 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उभरते परिदृश्य में आंकड़ों की आवश्यकता का पूर्णरूपेण प्रग्रहण किया जाता है तथा उनको पूरा करने का समस्त प्रयास करेगा । यहां यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्रालय आंकड़ा अन्तरालों को भरने के लिए नियमित आधार पर इन नए सर्वेक्षणों को करने की योजना बना रहा है । मंत्रालय ने 2017-20 के लिए व्यय वित्त समिति ज्ञापन में इन सर्वेक्षणों के लिए पहले से ही निधियों का प्रावधान कर दिया है जो सक्षम अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

<u>आंकड़ा गतिकी</u>

3. सांख्यिकी की मंशा, अन्य लोगों के बीच योजनाकारों, नीति-निर्माताओं तथा शोधकर्ताओं के लिए प्रासंगिक सूचना से संबंधित जोखिम सुझाती है । यह विचारार्थ देश की देश की भू-ऐतिहासिक, सामाजिक-आर्थिक तथा आबादी की सांस्कृतिक पहलुओं का बहुरूपदर्शक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है । अधिप्रमाणित, विश्वसनीय तथा समयपरक आंकड़ो से नीति-निर्माताओं को अपेक्षित प्रोत्साहन मिला है । हमारी विकासशील और महत्वाकांक्षी समाज में, उपलब्ध आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा अधिप्रमाणिकता नीति-निरूपण तथा समावेशी विकास के लिए अनिवार्य है। हाल ही में, कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आंकड़ों तथा सकल घरेलू उत्पाद की गणना में विशेष रूप से आर्थिक सूचकांक से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में रफ्तार दर्शाए न जाने से इस पर संदेह तथा इसकी आलोचना हुई है । अतः, समिति मंत्रालय से सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में और अधिक समावेशी रूख अपनाने तथा इसकी परिधि में अर्थव्यवस्था के व्यापक विषयों/क्षेत्रों को शामिल करने, प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध करेगी जिससे सभी प्रणाली संबंधी अनिश्चितताओं तथा संदेहों पर रोक लगाते हुए राष्ट्रीय आंकड़ों में भरोसा उत्पन्न हो ।

उत्तर:

देश में अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे का प्रग्रहण करने तथा मौजूदा अर्थव्यवस्था स्थिति को सही-सही प्रतिबिम्बित करने के लिए, जीडीपी, आईआईपी आदि जैसे संकेतकों का आधार वर्ष नियमित रूप से संशोधित किया जाता है । प्रत्येक आधार वर्ष संशोधन के दौरान, विभिन्न समाहारों/सूचकांकों के अनुमानन में नियोजित आंकड़ा आधार और कार्यप्रणाली दोनों की व्यापक समीक्षा की जाती है । राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति द्वारा कार्यप्रणाली और

आंकड़ा स्रोतों में परिवर्तनों की भी विस्तृत जांच की जाती है । अंतर्राष्ट्रीय तुलना को सुसाध्य बनाने हेतु संकलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को भी साथ मिलाने का प्रयास किया जाता है । प्रयोक्ताओं को सूचित करने के लिए, कार्यप्रणाली और संशोधन स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सूचित किए जाते हैं । इसमें आईएमएफ के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों के अनुसार निर्धारित, अग्रिम रिलीज कैलेण्डर के माध्यम से प्रकाशन जारी करने की तारीखें, पृथककरण के विभिन्न स्तरों पर डेटा और विस्तृत मेटाडेटा उपलब्ध कराना, संलग्न पाठ के साथ आंकड़ों में संशोधनों तथा संशोधन के कारणों की व्याख्या को दर्शाने वाली तालिकाओं का प्रकाशन करना शामिल है।

व्यापक आंकड़ा अन्तरालों, श्रम बल सांख्यिकी के आंकड़ा संग्रहण की बारम्बारता और अधिक बारम्बारता अन्तरालों पर ऐसी सांख्यिकी की उपलब्धता की आवश्यकता पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) ने शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर मासिक/त्रैमासिक श्रम बल आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रचार करने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना करने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते प्रो. अमिताभ कुण्डु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की । समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रायोगिक, एक नियमित आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पहले से ही अप्रैल 2017 से चलाया गया है । इसके अलावा, पीएलएफएस, एनएसएसओ नियमित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करता है जिनके विषय विभिन्न आवधिकता हेतु निर्णीत किए जाते हैं । एनएसएसओ द्वारा इन सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आलवा, श्हारी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी), ग्रामीण मूल्य संग्रहण (आरपीसी), थोक बिक्री मूल्य सूचकांक, (डब्ल्यूपीआई) तथा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) जैसे अन्य सर्वेक्षण भी आयोजित किए जाते हैं । इसके अलावा, सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण तथा

समय उपयोग सर्वेक्षण करने हेतु एनएसएसओ का प्रस्ताव व्यय वित्त समिति 2017-20 में शामिल किया गया है । इनके अलावा, डिजीटल मोड में एनएसएसओ ने एनआरएससी द्वारा विकसित मोबाइल एप्प की सहायता से शहरी ढांचा सर्वेक्षण प्रारंभ किया। ये मानचित्र भुवन पोर्टल पर संग्रहित किए जाएंगे तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिदर्शों को तैयार करने के लिए ढांचे का उपयोग किया जाएगा ।

एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वर्षों से अपने सर्वेक्षण की आयोजना तथा डिजाइनिंग, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा सत्यापन और वैधीकरण तथा बड़े पैमाने पर बहु-विषयक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर परिणामों को तैयार करने में उच्च मानकों का रख-रखाव करता रहा है। पब्लिक डोमेन में सर्वेक्षण को अवधारणा से लेकर परिणामों के अन्तिम प्रचार तक बहु स्तरीय जांच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आंकड़ा को तैयार करने में अधिप्रमाणिकता और पारदर्शिता की कसौटी है । स्वतंत्र निकाय नामत: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएसएसओ के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों की समग्र प्रक्रिया का मार्गदर्शन तथा चौकसी करता है तथा सर्वेक्षण आधारित परिणामों का अनुमोदन करता है ।

प्रयोक्ता मंत्रालयों और अन्य प्रयोक्ताओं की प्रासंगिक मदों की कवरेज तथा सर्वेक्षणों को करने के उचित वैज्ञानिक तौर-तरीकों के अंगीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सर्वेक्षण साधनों के विकास का निरीक्षण करने हेतु तथा एनएसएस रिपोर्टों में मौजूद सर्वेक्षण परिणामों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए प्रत्येक दौर के लिए एक कार्यदल की नियुक्ति करता है जिसमें प्रख्यात अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद्, प्रयोक्ता मंत्रालयों/संगठनों से अधिकारियों तथा अन्य डोमेन विशेषज्ञ शामिल होते हैं ।

क्षेत्रीय अन्वेषकों के प्रशिक्षण, आंकड़ों का संग्रहण करते वक्त अवधारणाओं तथा परिभाषाओं को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर (आरटीसी), समीक्षा क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविरों (आरआरटीसी) आदि से अंग्रेजी, हिन्दी तथा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, आंकड़ा संग्रहण के दौरान क्षेत्रीय अन्वेषकों के फील्ड कार्य का कठोर निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने तथा आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच करने तथा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत शेड्यूलों की न्यूनतम दो सूत्रीय संवीक्षा प्रणाली मौजूद है । इसके अतिरिक्त, एनएसएसओ के अधिकारियों को सर्वेक्षणों संबंधी उनके कौशलों और सामान्य कौशलों में संवर्धन करने के लिए प्रासंगिक विषयों पर इन-सर्विस प्रशिक्षण में समुचित जानकारी दी जाती है । समुचित अनुभव वाले अर्हक और प्रशिक्षित स्टॉफ की उपलब्धता आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है । एनएसएसओ आंकड़ों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपायों का सतत कार्यान्वयन करता रहा है ।

जहां तक समय से सांख्यिकी जारी करने का संबंध है । एनएसएसओ अब अपने परिणाम क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के एक वर्ष के भीतर जारी करता है । इसके अलावा, आईसीटी नामत: सीएपीआई के प्रयोग से, भविष्य में सांख्यिकी रिलीज में तेजी आएगी । एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जून 2018 को समाप्त तिमाही तक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित श्रम बल संकेतकों के प्रथम अनुमान तथा जुलाई 2017 से जुन 2018 की संदर्भ अवधि के लिए दिसम्बर 2018 तक प्रथम वार्षिक अनुमानों को जारी करने की योजना है ।

एनएसएसओ के प्रकाशित रिपोर्टें पब्लिक डोमेन (मंत्रालय की वेबसाइट:www.mospi.gov.in) पर डाली जाती है । एनएसएसओ रिपोर्टों के प्रयोक्ताओं का बड़ा

समूह इन्हें इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करता है । आंकड़ा प्रयोक्ताओं के अन्य सेट इकाई स्तरीय आंकड़ा हैं जिन्हें कम्प्यूटर सेन्टर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो इकाई स्तर पर अभिरक्षक है, से अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित शुल्क की अदायगी, यदि कोई हो या निशुल्क, एक सामान्य अनुरोध के आधार पर सुलभ कराया जा सकता है ।

<u>एमपीलैड्स स्कीम</u>

4. यद्यपि एमपीलैड्स विषय एक पृथक संसदीय समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके बावजूद भी मंत्रालय के योजना परिव्यय का मुख्य भाग अर्थात 3950 करोड़ रुपए इस महत्वपूर्ण स्कीम के लिए आवंटित किया जाता है, जो मंत्रालय के लिए आवंटित राशि का लगभग 95% है । अत: यह अत्यावश्यक है कि एमपीलैड्स को आक्रान्त करने वाले कुछ गले-सड़े मुद्दों को इस समिति द्वारा उठाया जाता है तथा तत्संबंधी सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है । समिति नोट करती है कि 3950 करोड़ रुपए की राशि एमपीलैड्स स्कीम को प्रतिवर्ष आवंटित की जा रही है । तथापि, वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (दिसम्बर 17 तक) के लिए उपयोग क्रमश: 3502 करोड रुपए, 3499.50 करोड़ रुपए तथा 2426.50 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जो वर्षों से व्यय में गिरावट का रूझान दर्शाता है । वे सुझाएंगे कि संबंधित राज्य प्राधिकारियों को एमपीलैड्स निधियों की लम्बित किस्तों को जारी करवाने के लिए तत्काल आधार पर मंत्रालय को उपयोग-प्रमाण-पत्र, लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने का निर्देश देना चाहिए जो एक समयबद्ध तरीके से स्कीम के अंतर्गत जारी परियोजनाओं के पूरा होने में वृद्धि करेगा । समिति प्रत्येक वर्ष पूंजीगत प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने के लिए प्रत्येक सांसद की निर्धारित राशि में बढ़ोतरी करने की मांग से अवगत है । इसके आलोक में, निधियों का समय से जारी होना तथा पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाता है । इसके अलावा, शुरू किए गए कार्यों/परियोजनाओं की गुणवत्ता तथा समयपरकता पर टैक्स रखने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। बहुधा देखा गया है कि संबंधित सांसद/विधायक कार्य करने के लिए उत्सुक होता है परंतु संबंधित उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट तथा संबंधित राज्य विभागों द्वारा उचित प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाती है, जिसके कारण परियोजना प्रारंभ करने में अनुचित विलम्ब होता है। अत: समिति राज्य/जिला प्राधिकारियों,

संबंधित सांसदों तथा एमपीलैड्स स्कीम में हितधारकों के बीच नियमित समन्वय बैठकों के लिए राज्य प्राधिकारियों पर प्रभाव डालने के लिए मंत्रालय से अनुरोध करेगी । इसके अलावा, समिति नोट करती है कि सांसद जिला प्राधिकारियों की कार्य करण हेतु अनेक परियोजनाएं सुझाएगा । चूंकि एमपीलैड्स निधि अव्यपगत है, समिति अनुशंसा करती है कि वार्षिक आवंटन जिला प्राधिकारियों के नियंत्रण में किया जाना चाहिए ताकि निधि का उपयोग एमपीलैड्स स्कीम के अनुसार सांसदों द्वारा सुझाई गई परियोजनाओं के लिए किया जा सके ।

उत्तर:

संदर्भाधीन वर्षों में एमपीलैड्स निधियों की निर्मुक्ति में कोई गिरावट नहीं है क्योंकि रिकार्डों में अंतिम आंकड़े 3502 करोड़ रुपए (2015-16), 3499.50 करोड़ रुपए (2016-17) तथा 2426.50 करोड़ रुपए जो दिसम्बर 2017 तक थे, वर्ष 2017-18 में 3504 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं ।

मंत्रालय की एमपीलैड्स प्रभाग उपयोग-प्रमाण-पत्र, लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र, समय पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा है । इसके अतिरिक्त, प्रभाग उक्त उल्लिखित दस्तावेज को अपलोडिंग हेतु एमपीलैड्स पोर्टल का उपयोग करने के लिए आग्रह करता रहा है ताकि किस्त की शीघ्रातिशीघ्र निर्मुक्ति हो सके ।

जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यों की संस्वीकृति तथा निधियों की संगत निर्मुक्ति के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन करने का निरन्तर अनुरोध किया जाता है ताकि माननीय सांसदों

द्वारा संस्तुत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके । इसके अतिरक्त, राज्य प्राधिकारियों से मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठकों के नियमित रूप से आयोजन का अनुरोध किया जाता है, जिनमें संबंधित माननीय सांसद तथा एमपीलैड्स स्कीमों के अन्य हितधारकों को भी आमंत्रित किया जाता है ।

हाल ही में, दिनांक 14.03.2018 का एक अ.शा. पत्र सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के सचिवों को भेजा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र स्तर की एमपीलैड्स निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं की जा रही है । माननीय सांसदों ने अनेक मंचों पर नियमित अन्तराल पर कुछ बैठकों का आयोजन करने का अनुरोध किया है । एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.13 के अनुसार, जिला प्राधिकारी निधियों को वास्तविक उपलब्धता न होने पर भी उस वर्ष के लिए सांसद के लिए पात्र राशि तक कार्यों को संस्वीकृत कर सकता है ।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई)

5. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, परियोजनाओं की बड़ी संख्या के माध्यम से विभिन्न विषयों में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा सांख्यिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर एकीकृत कार्यक्रम चला रहा है । सांख्यिकी के क्षेत्र में दशकों से अग्रणी कार्य करते हुए भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्राप्त है । राष्ट्रीय महत्व की ऐसी संस्थान के लिए समिति ने पाया कि बजट का उपयोग उसकी महानता और योगदान के अनुरूप नहीं है । वर्ष 2017-18 के लिए बजटीय प्राक्कलन संशोधित प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय क्रमश: 274.15 करोड़, 269.65 करोड़ और 212.28 करोड़ रुपये (दिसम्बर 2017 तक का व्यय) था । वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान 275.32 करोड़ रुपये था जिसमें पिछले वित्त वर्ष (2017-18) की तुलना में 0.4% की मामूली बढ़त है । भारतीय सांख्यकी संस्थान आबंटित निधियों को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाया है जो कि पिछले वित्तीय वर्षों के बजटीय आंकड़ों से देखा जा सकता है । डीएफजी (2017-18) की 45 वीं रिपोर्ट में, समिति ने पाया कि आईएसआई के विभिन्न केंद्रों पर आधारी संरचना विकास कार्य विशेष रूप से तेजपुर तथा चैन्नई में वांछित गति से नहीं चल रहा है । गिरडीह में कार्य प्रगति, जहां भूमि दान में प्राप्त हुई है, वहां आधारी संरचना विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आईएसआई के बजटीय आवंटन से यह स्पष्ट नहीं है कि आईएसआई के ऊपर उल्लिखित केंद्रों के लिए आधारी संरचना विकास कार्यों के लिए क्या प्रावधान किया गया है । अत: समिति मंत्रालय तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सिफारिश करना चाहेगी कि वे विभिन्न केंद्रों पर निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ करें और अतिक्रमण हटाने के सभी प्रयास करें । समिति मंत्रालय से यह भी अनुरोध करेगी कि, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के विस्तार तथा उसके केंद्रों/सुविधाओं के उन्नयन के लिए पर्याप्त बजटीय समर्थन दे, जिससे राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान अपने अधिदेश को पूरा कर सके ।

उत्तर:

निधियों के अल्प उपयोग के प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं :

- आईएसआई तेजपुर केंद्र पर कैम्पस तथा स्थानीय निकायों से भवन योजना हेतु अनुमोदन प्राप्त करने में अत्याधिक विलंब हुआ क्योंकि असम सरकार द्वारा आवंटित

भूमि, कृषि भूमि थी जिसे निर्माण प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना था । इससे संबंधित अनान्तिम अनुमोदन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है ।

- आईएसआई के चैनेई केंद्र के मामले में निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर पहुंच मार्ग था, जिससे निर्माण कार्यों तथा साथ ही भूमि भरने के कार्यों में बाधा आई ।
- आईएसआई के गिरिडीह केंद्र के लिए 30 एकड़ से अधिक की भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए चारदीवारी की जरूरत है । आंशिक रूप से उपलब्ध निधि के चलते गिरिडीह की पूरी परियोजना को आरंभ नहीं किया गया क्योंकि आंशिक रूप से दीवार लगाने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।
- मुद्दे पर विस्तार से विश्लेषण किया गया तथा मंत्रालय के बजट से अधिक निधि आवंटन से आधारी संरचना तथा विकास रोड मैप तैयार किया जाएगा तथा मंत्रालय की निगरानी में संस्थान योजना को आरंभ करेगा ।

<u>सांख्यकीय सेवांए/जनशक्ति संबंधी मुद्दे</u>

6. मंत्रालय में वर्षों से जनशक्ति की लगातार कमी रही है इसके परिणामस्वरूप मंत्रालय और इसके विभिन्न विभाग कर्मचारियों की कम संख्या के साथ काम कर रहे हैं । सांख्यिकी एक विशेषज्ञ फील्ड है जो सामाजिक-आर्थिक नियोजन तथा निर्णय लेने में अत्याधिक महत्वपूर्ण है और इससे राष्ट्र-निर्माण प्रभावित होता है । समिति अधिकारियों/कर्मचारियों की विशेष रूप से अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा संवर्ग के वरिष्ठ और कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों के महत्वपूर्ण स्तर पर इस चिरस्थायी कमी से गंभीर रूप से चिंतित है । 1 दिसंबर, 2017 को अधीनस्थ संवर्ग स्तर पर 922 रिक्तियां थी जबकि 1 दिसंबर, 2016 को यह आंकड़ा 861 का था । रिक्तियां भरे जाने के बजाय उनमें बढ़ोतरी हुई है । इसी प्रकार भारतीय सांख्यिकी सेवा में 1 अप्रैल, 2017 को 165 पद खाली पड़े थे । सांख्यिकी संवर्ग में इस तरह की कमी से देश के सांख्यिकीय नियोजन का भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखता । बल्कि इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता और साख के प्रति आशंका में इजाफा होता है । इसके अलावा, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा संवर्ग में भारी मात्रा में नौकरी छोड़ने की दर एक चिंता का विषय है । समिति का मत है कि बेहतर कार्यबल को आकर्षित करने के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां तथा तुलनीय पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आंकड़ों के संग्रहण, संसाधन तथा प्रसार की गुणवत्ता, कवरेज, समयपरकता और सटीकता पर पड़ता है । समिति यह भी सिफारिश करना चाहेगी कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में सांख्यिकी विभाग के छात्रों में महत्वपूर्ण सरकारी तथा अनुप्रयुक्त सांख्यिकी पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जांए, जिससे कि अत्याधुनिक अनुसंधान स्तर पर उचित उम्मीदवारों को आकर्षित किया जा सके । समिति यह भी सिफारिश करना चाहेगी कि जनशक्ति की अत्याधिक कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा तत्काल उपाय किए जांए, जिससे कि आंकड़ों के विश्वसनीय संग्रहण तथा संकलन नजरअंदाज न हों। समिति आगे सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय सांख्यकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) में संकाय सदस्यों तथा प्रशिक्षण प्रशासन तथा वित्तीय मामलों को देख रहे सम्बद्ध सहायक कर्मचारियों की कमी को, एनएसएसटीए द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तुरंत दूर किया जाए । इसके अलावा, मंत्रालय को सरकारी सांख्यिकी के उत्पादन, संगठन तथा प्रबंधन के लिए क्षमता-निर्माण हेतु अपने प्रयासों के प्रति सक्रिय होना पड़ेगा ।

उत्तर:

1 मई, 2018 की स्थिति के अनुसार पदों की स्वीकृत संख्या तथा पदों पर तैनाती की संख्या निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	पदों की संख्या	स्वीकृत पद	तैनाती	रिक्तियां
1.	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	1781	1581	200
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	2168	2003	16
3.	कुल संख्या	3949	3584	365

(i) कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा (सीजीएलई)- 2016 के आधार पर कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर 666 उम्मीदवारों को नामांकित किया है । भर्ती पूर्व औपचारिकतांए पूरी करने के उपरांत 535 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव अप्रैल 2018 में जारी किए गए थे और शेष पर काम चल रहा है । अत: 01.05.2018 की स्थिति के अनुसार अधिनस्थ सांख्यिकी सेवा में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के 165 पदों और वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के 200 पद भाग लेने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में खाली पड़े हैं ।

(ii) इसके अलावा जेएसओ की 124 रिक्तियों की सीजीएलई-2017 हेतु, कर्मचारी चयन आयोग को सूचना भेज दी गई थी अंतिम परिणाम अभी आने हैं ।

(iii) सेवा को और आकर्षक बनाने तथा जेएसओ स्तर पर नौकरी छोड़ने की दर को कम करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्रेड वेतन 4200/- रुपये से बढ़ाकर 4600/- रुपये करने का मामला इस मंत्रालय के आईडी नोट सं. 12035/02/2010- एसएसएस दिनांक 05.09.2016 के अनुसार सचिवों की समिति में उठाया है, सचिवों की समिति का निर्णय अभी प्रतीक्षित है ।

(iv) इसके अलावा, माननीय मंत्री सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से, मंत्रालय ने, एसएसएस के जेएसओ हेतु 4600/- रुपये का ग्रेड वेतन तथा एसएसओ को 4800/- रुपये का ग्रेड वेतन प्रदान करने के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ को भी भेजा है, जिससे कि एसएसएस में नौकरी छोड़ने वालों की दर को कम किया जा सके और सेवा को ओर अधिक आकर्षक बनाया जा सके ।

(v) जहां तक एसएसएस की संवर्ग समीक्षा का संबंध है, इस बारे में यह कहना है कि दिसंबर, 2018 तक यह देय है तथा एसएसएस संवर्ग समीक्षा की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाएगी ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों में एनएसएसओ कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से इन-हाऊस मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है । पिछले कुछ वर्षों में अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा कर्मचारियों तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षित कर चुका है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में भारतीय सांख्यिकी सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के नियमित पदों का अनुरक्षण/उनको भरने संबंधी कार्रवाई संबंधित संवर्गों द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्रमश: राजपत्रित अधिसूचना संख्या जीएसआर 579 (ई) दिनांक 07.06.2016 तथा एसएसएस प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11015/1/2014-एसएसएस दिनांक 09.06.2016 में दी गई शर्तों के अनुसार भरी जाती है । व्यय विभाग के दिनांक 23.09.2010 के आईडी संख्या 8152871/ईसीआई/10 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 23 योजना पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें न भरने के कारण, समाप्त कर दिया गया मान लेने की श्रेणी में डाल दिया गया है । मंत्रालय इन पदों को पुन: प्रवर्तित करने की प्रक्रिया कर रहा है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का जीवंत सामाजिक-सांस्कृतिक अंचल है । तथापि, सांख्यिकीय अवसंरचना के संबंध में यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है, जिसके प्रभावस्वरूप क्षेत्र के आर्थिक सूचकांकों को तैयार करने में बाधा उत्पन्न हुई है । मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत–पूर्वोत्तर क्षेत्र, वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 30 करोड़ रूपए था । उसी तर्ज पर, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 16.80 करोड़ रूपए के आंकड़े पर टिका रहा जो पिछले वित्त वर्ष (2016-17) से 44% कम रहा । चालू वित्त वर्ष के लिए आबंटन 20.80 करोड़ रूपए है । इस प्रकार के बजट आबंटन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सांख्यिकीय अवसंरचना/तंत्र का विस्तार तथा सुदृढ़ करने का लक्ष्य अलंघ्य प्रतीत होता है । गत तीन वित्त वर्षों में हुए आबंटन से मंत्रालय द्वारा किया गया वास्तविक व्यय नहीं दर्शाया गया है । समिति यह समझती है कि अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों में एनएसएसओ का कोई क्षेत्रीय ढ़ांचा नहीं है और एनएसएस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्शों दोनों के क्षेत्रीय कार्यों के लिए राज्यों पर आश्रित है । समिति यह महसूस करती है कि सामाजिक-आर्थिक नीति बनाने के लिए विश्वसनीय तथा गुणवत्तात्मक आंकडों की कमी अवरोधक है और मंत्रालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटनों में वृद्धि करने तथा क्षेत्र की सर्वेक्षण क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए आबंटनों का पूर्णरूपेण उपयोग सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है ।

उत्तर:

आर्थिक सूचकांक तैयार करने के संबंध में, यह उल्लेखनीय होगा कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान छठी आर्थिक गणना की गई थी । इसी प्रकार, मिजोरम के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के साथ-साथ उद्योगों के

वार्षिक सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्य आरंभ किया गया है । अरूणाचल प्रदेश (शहरी) के अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए मूल्य आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं ।

मंत्रालय के सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस) की योजना, क्षमता-विकास योजना की एक उप-योजना के अंतर्गत राज्यों को उनकी सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और समुन्नत आंकड़ा प्रवाह के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में, वर्तमान में एसएसएस योजना सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर में कार्यान्वित की जा रही है । वर्तमान वित्त वर्ष में इसका विस्तार त्रिपुरा, मेघालय और असम राज्यों में भी किया जाना है ।

पूर्वोत्तर में बजटीय आबंटन, निधियों के उपयोग इत्यादि के संबंध में सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस) के संबंध में उप-योजना निम्नानुसार है:

पिछले तीन वर्षों में जारी निधियां

(रूपए करोड़ों में)

वर्ष	**पूर्वोत्तर में आबंटन (केवल एसएसएस योजना के तहत)**		**जारी/उपयोग की गई राशि**	
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	**पूर्वोत्तर राज्यों को**	**पूर्वोत्तर में कुल (बजट अनुमान) जारी करने का %**
2015-16*	6	9.49	9.49	158.09
2016-17**	5	5	7	140
2017-18*	2	2	3.58	178.88

कुल	13	16.49	20.07	154.38

*अतिरिक्त राशि शीर्ष 3454 से पुनर्विनियोजित ।

** सामान्य शीर्ष से किया गया व्यय ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वेक्षणों की पहुंच को सुदृढ़ और विस्तार करने के लिए एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षणों को करने के लिए क्षमता विकास योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को सहायता प्रदान की जा रही है ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रो. अतुल शर्मा की अध्यक्षता में दिनांक 25 मार्च 2010 को अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य स्तर पर समुचित प्रतिदर्श विस्तार की आवश्यकताओं पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी । समिति, प्रतिदर्श आकार बढ़ाने की अपनी सिफारिशें प्रदान करते समय, यह सिफारिश भी की कि एनएसएसओ चार पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा में अपने क्षेत्रीय सर्वेक्षण ढांचे की स्थापना करे, जिससे राज्यों में सर्वेक्षणों के आयोजन तथा एनएसएस राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए मानव संसाधनों की क्षमता को सुधारा जा सके । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने अपनी 43वीं बैठक में प्रो. अतुल शर्मा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई कि एनएसएसओ (एफओडी) सभी पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करे, जहां ऐसे कार्यालय नहीं हैं । यदि प्रतिदर्श आकार को नहीं बढ़ाया गया तो संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों से सहायता लेने की वर्तमान प्रणाली कार्य नहीं करेगी। आंकड़े एकत्र करने के लिए एनएसएसओ (एफओडी) के दो नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और दो उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को समुन्नत बनाने तथा पूर्वोत्तर में आंकड़ा

प्रोसेसिंग के लिए एनएसएसओ (डीपीडी) का एक केंद्र आरंभ करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) अखिल भारत आधार पर विभिन्न विषयों पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करता है । एनएसएसओ (केंद्रीय प्रतिदर्श) द्वारा प्रचारित प्रतिदर्श के आधार पर, प्रत्येक सर्वेक्षण के परिणाम रिपोर्टों के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं । पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य सरकारें भी इन सर्वेक्षणों में एक समानांतर प्रतिदर्श आधार (राज्य प्रतिदर्श); उन्हीं सर्वेक्षण साधनों का उपयोग करते हुए (अर्थात् अनुसूचियां और अवधारणाएं तथा परिभाषाएं) भाग लेती हैं । राज्य प्रतिदर्शों से प्राप्त राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित आंकड़ों को समंक विधायन प्रोटोकॉल के अनुसार और एनएसएसओ द्वारा विकसित सामान्य सारणीयन योजना द्वारा किया जाता है । एनएसएसओ (अर्थात् केंद्रीय प्रतिदर्श) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के लिए प्रयुक्त प्रतिदर्श के लिए आंकड़ों के आधार पर एनएसएसओ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमान उपलब्ध कराता है ।

प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के पदाधिकारियों सहित राज्य सरकार के पदाधिकारियों को समान अवधारणाएं और परिभाषाओं का उपयोग करते हुए तथा एक सामूहिक प्रशिक्षण सम्मेलन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे एजेंसी पक्षपात को कम किया जा सके । आंकड़ा प्रोसेसिंग प्रणाली राज्य सरकार पदाधिकारियों द्वारा एनएसएसओ द्वारा विकसित समंक विधायन कांफ्रेन्स और समंक विधायन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी प्रदान किया जाता है, जिसे राज्यों को उनके उपयोग के लिए वितरित किया जाता है ।

केंद्र तथा राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों की पूलिंग द्वारा उप-राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के उपयोग के लिए एनएसएसओ ने एक समान प्रणाली और साफ्टवेयर भी विकसित किया है । पूलिंग प्रणाली तथा साफ्टवेयर की जानकारी राज्य सरकारों को दी जाती है तथा इस पर राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एनएसएसओ द्वारा नियमित आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

अत: एनएसएसओ ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया है कि सर्वेक्षण की क्षमता और गुणता दोनों मजबूत और विश्वसनीय बनी रहे ।

प्रो. अतुल शर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर एनएसएसओ ने मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए व्यय वित्त समिति दस्तावेज में पूर्वोत्तर राज्यों के सुदृढीकरण के लिए अपने केंद्र खोलने का प्रस्ताव सम्मिलित किया है । इन केंद्रों में पदों के सृजन का प्रस्ताव चालू 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जांच एवं विचार हेतु व्यय विभाग को भेजा गया था । तथापि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पदों का सृजन नहीं किया जा सका । अत:, 2017-20 अवधि के लिए प्रस्ताव व्यय वित्त समिति दस्तावेज में रख लिया गया है तथा इसे फिर से अनुमोदित किया गया है । यदि कोई विलंब हुआ तो यह प्रक्रियागत पहलुओं के अनुपालन की अनिवार्यता के कारण हुआ । इसका अनुसरण सरकार में विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रूप से किया जा रहा है ।